पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 04 चैत्र, 1937 (शा0)
25 मार्च, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या **03**

(1) लघु जल संसाधन विभाग	02
(2) ग्रामीण विकास विभाग	01
कुल योग —	03

नलकूप का विद्युतीकरण करना

"क"-7. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा फेज 8 योजना अन्तर्गत 1,591 नलकूप है जिसमें 557 अदद् डीजल चालित एवं 34 अदद् सोलर चालित नलकूप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 फरवरी में डीजल एवं सोलर चालित नलकूपों को विद्युतीकरण हेतु 9,223.57 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी जिसके विरुद्ध रुपये 528.00 लाख का भुगतान कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को किया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 1,591 नलकूपों को अबतक विद्युतीकरण कर चालू नहीं की गयी है जिसके कारण 1,360 हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हो सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक 1,591 नलकूपों का विद्युतीकरण का कार्य कराने का विचार रखती है ?

योजना पूर्ण नहीं होने का औचित्य

13. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13 से लेकर 2014-15 तक 1,435 पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 1,212.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1,096 पंचायत सरकार भवनों की निविदा की गयी जिसमें मात्र 409 भवनों का ही निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सका है तथा 687 अवशेष पंचायत सरकार भवन में अबतक कार्य भी प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 349 पंचायत सरकार भवन के लिये राशि आवंटन के बावजूद निविदा नहीं की गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राशि स्वीकृति के बावजूद अबतक योजना अपूर्ण रहने का औचित्य क्या है ?

राशि खर्च नहीं करने का औचित्य

14. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माह जनवरी, 2014 में बिहार शताब्दी निजी नलकूप सिंचाई की एक महत्वाकांक्षी योजना हेतु 530 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका कार्यान्वयन बिहार भू-जल विकास मिशन द्वारा किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निजी नलकूप सिंचाई योजना के तहत सामान्य कृषक 16 प्रतिशत, अनुसूचित जाति कृषक एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कृषकों को डीजल नलकूप के लिये अधिकतम 15,000 रुपये मध्यम् गहराई के लिये अधिकतम 35,000 रुपये तथा पम्प सेट के लिये अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान का प्रावधान किया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में मात्र अबतक 30 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं होने का औचित्य क्या है ?

पटना :
दिनांक 25 मार्च, 2015 (पू0)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

नोट--"क" दिनांक 18 मार्च, 2015 को सदन द्वारा स्थगित ।

बि0स0(मु0 (एल0ए0), 166-डी0टी0पी0-450